2022/403

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट

श्री बाबूलाल पुत्र श्री समरथाजी
जाति प्रजापत निवासी मु.पो. सिरोडी
वाया अनादरा तहसील रेवदर
जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही एवं
जिला रसद अधिकारी सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 77 वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
28.12.2022	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी सिरोही को दिनांक 28.10.2022, को अलग–अलग प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा दिनांक 06.10.2022 को रजिस्ट्री पत्र प्रस्तुत कर दो राशन डीलरों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी। उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही हुई, उसकी प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी सिरोही को दिनांक 28.10.2022, को अलग–अलग प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा दिनांक 06.10.2022 को रजिस्ट्री पत्र प्रस्तुत कर दो राशन डीलरों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी। उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही हुई, उसकी प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/रसद/सू.अ./2022/1291 दिनांक 23.11.2022 के द्वारा अपीलांट को उपलब्ध करवा दी गई है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (भंवर लाल) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:05:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner